[2021] 7 एस.सी.आर. 403

वीना पांडे

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 6953)

18 नवंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति]

सेवा कानूनः

पेंशनिक फायदे - पेंशन योजना के तहत पात्रता - तथ्यों पर, कर्मचारी ने पेंशन योजना के तहत अपने जीवनकाल के दौरान 90 प्रतिशत पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुना और उसकी मृत्यु पर, उसकी विधवा-अपीलार्थी एकमुश्त राशि प्राप्त करने की हकदार है, जो पारिवारिक पेंशन के अलावा उसकी पूर्ण मासिक पेंशन के 100 गुना के बराबर है - 12.01.11 को कर्मचारी की मृत्यु पर, एकमुश्त राशि के लिए अपीलार्थी का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रावधान 21.02.2011 से समाप्त कर दिया गया था और 10 प्रतिशत समर्पण राशि ब्याज के साथ सभी पेंशनभोगियों को वापस कर दी गई थी - अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका में पेंशनिक फायदों के संवितरण और उस पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत उसे सूचित किया गया था कि कोई अन्य भुगतान देय नहीं था - क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई - उक्त आदेश को खंडपीठ ने बरकरार रखा - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: पेंशन योजना को कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के एक उपाय के रूप में तैयार किया गया था - पेंशन लंबे वर्षों तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिकर का आस्थगित हिस्सा है - इसे देखते हुए, पेंशन योजना के तहत देय और भुगतान योग्य राशि में प्रतिदाय राशि को समायोजित करने के बाद अपीलार्थी को संवितरित की जाएगी - कोयला खान पेंशन योजना, 1998 - पैरा 15(1)(ख), पैरा 15(2)

सेवानिवृत्ति फायदे - पेंशन - की प्रकृति - अभिनिर्धारित किया गया: पेंशन लंबे वर्षों की सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिकर का आस्थगित हिस्सा है - यह एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से प्रोद्भूत फायदा है और संपत्ति की प्रकृति में है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. पेंशन, जैसा कि सर्वविदित है, लंबे वर्षों की सेवा प्रदान करने के लिए मुआवजे का आस्थगित हिस्सा है। यह एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से प्रोद्भूत फायदा है और इसे संपत्ति की प्रकृति में माना गया है। [पैरा 11] [407-ए-डी]

1.2. उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी का हवाला देते हुए रिट याचिका और एल.पी.ए. दोनों को खारिज कर दिया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी-नियोक्ता के साथ अपीलार्थी के पति की नियुक्ति विवाद में नहीं है। फिर भी, एक दशक से अधिक समय से, कर्मचारी की विधवा को पेंशनिक फायदे को सुरक्षित करने के लिए मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तत्काल मामले की विषम परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा पेंशन योजना में उक्त प्रावधान को समाप्त करने के निर्णय की वैधता पर टिप्पणी किए बिना, क्योंकि पेंशनभोगी समाप्ति की तारीख को जीवित नहीं था, यह आदेश दिया जाता है कि पेंशन योजना के तहत देय और भुगतान योग्य राशि की गणना की जाए और अपीलार्थी को संवितरित की जाए। अपीलार्थी को प्रतिदाय राशि को प्रेषण प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। [पैरा 12,13] [407-बी-ई]

अखिल भारतीय रिजर्व बैंक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, **(1992) 1 पूरक एस.सी.सी. 664;** *झारखंड राज्य और अन्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और एक अन्य* **(2013) 12 एस. सी. सी. 210 - पर भरोसा किया गया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

(1992) 1 पूरक एस.सी.सी. 664	**पर भरोसा किया**	**पैरा 11**
(2013) 12 एस.सी.सी. 210	**पर भरोसा किया**	**पैरा 11**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2021 सिविल अपील संख्या 6953

2014 की सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9837 में 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 701 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

संतोष कुमार, मधुरेंद्र शर्मा, राजीव रंजन मिश्रा, यादव नरेंद्र सिंह, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

सुश्री माधवी दीवान, ए.एस.जी., गुरमीत सिंह मक्कर, प्रणय रंजन, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, आयुष पुरी, सुश्री आकांक्षा कौल, सुश्री वैशाली वर्मा, ऐश्वर्या सिन्हा, सुश्री प्रियंका सिन्हा, आलोक के. सिंह, सुश्री मधुष्मिता बोरा, रिजू राज सिंह जामवाल, दीपांकर सिंह, सुश्री प्रेमा प्रियदर्शी, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति:

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (जिसे बाद में संक्षेप में 'पेंशन योजना, 1998' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत पेंशनिक फायदों के दावों से उत्पन्न होती है। अपीलार्थी के पति रामाशंकर पांडे ने 1999 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से स्थानांतरित होने के बाद साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर में सेवा प्रदान की। कर्मचारी बिलासपुर में मुख्य कार्मिक प्रबंधक के रूप में 31.05.2004 को सेवानिवृत्त हुए और बाद में अपने परिवार के साथ बिहार के भोजपुर में बस गए। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान 90 प्रतिशत पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुना जैसा कि पेंशन योजना, 1998 के पैरा 15(1)(बी) के तहत प्रदान किया गया है जो 31.03.1998 से प्रभावी है। चूंकि कर्मचारी ने अपने जीवनकाल के दौरान पेंशन की कुल स्वीकार्य राशि का 90 प्रतिशत प्राप्त करने का विकल्प चुना, इसलिए 12.01.2011 को उसकी मृत्यु होने पर पेंशनभोगी की विधवा पारिवारिक पेंशन के अलावा एकमुश्त राशि प्राप्त करने की हकदार हो गई, जो उसकी पूर्ण मासिक पेंशन के 100 गुना के बराबर राशि है। अभिलेख से पता चलता है कि कर्मचारी को पेंशन योजना, 1998 के तहत मूल पेंशन के रूप में आई. डी. 2-पी. एम. और उसकी मूल पेंशन का 10 प्रतिशत यानी रु. विभाग के पास 788/- पी. एम. जमा किया गया। अभिलेख से पता चलता है कि 01.06.2004 से पेंशन योजना, 1998 के तहत कर्मचारी को मूल पेंशन के रूप में 7091 रुपये प्रति माह मंजूर किए गए थे और उसकी मूल पेंशन का 10% यानी 788 रुपये प्रति माह विभाग के पास जमा किया गया था।

3. पेंशन योजना, 1998 के अनुसार 12.01.2011 को कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद, पेंशनभोगी की विधवा ने अपने पति की पूर्ण मासिक पेंशन के 100 गुना के बराबर राशि के लिए दावा किया और 30.09.2012 दिनांकित पत्र के माध्यम से, उसने पेंशन योजना, 1998 के पैरा 15 (1) (बी) सहपठित पैरा 15 (2) के तहत एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया।

4. हालाँकि, अपीलार्थी के अभ्यावेदन को हालांकि खारिज कर दिया गया था। कोयला खान भविष्य निधि संगठन (संक्षेप में 'सी.एम.पी.एफ.ओ.') के क्षेत्रीय आयुक्त के दिनांकित 22.01.2013 पत्र में कहा गया था कि पेंशनभोगी ने पेंशन योजना, 1998 के पैरा 15(1)(बी) के तहत 90 प्रतिशत पेंशन का भुगतान करने का विकल्प चुना था, लेकिन उपरोक्त प्रावधान को दिनांक 21.02.2011 से समाप्त कर दिया गया था। यह भी सूचित किया गया कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त के दिनांक 30.01.2012 के आदेश के तहत सभी पेंशनभोगियों को 10 प्रतिशत समर्पण राशि ब्याज के साथ वापस कर दी गई है।

5. अपीलार्थी को विधवा पेंशन बकाया (12,351 रुपये) के साथ ब्याज (36,938 रुपये) की 10% की आत्मसमर्पण की गई राशि, कुल 49,289 रुपये, वापस कर दी गई, जबकि उसने पेंशन योजना के अब समाप्त हो चुके प्रावधानों के तहत अधिक राशि का दावा किया।

6. नियोक्ता के उपरोक्त रुख से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने पेंशनिक फायदे के संवितरण और क्षेत्रीय आयुक्त, सी.एम.पी.एफ.ओ. के दिनांकित 22.01.2013 पत्र को रद्द करने के लिए जिसके तहत यह सूचित किया गया था कि अपीलार्थी को कोई अन्य भुगतान देय नहीं है, पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। हालाँकि, उसके सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9837/2014 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बनाए रखने के योग्य न होने के कारण इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर कार्रवाई का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ था। डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी के एल.पी.ए. संख्या 701/2017 को इसी तरह के अवलोकन के साथ खारिज करके इस आदेश की पुष्टि की कि पेंशनभोगी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर थीं और इसलिए पेंशनभोगी की विधवा द्वारा दायर रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी। उच्च न्यायालय के इन आपेक्षित आदेशों को इस अपील में चुनौती दी गई है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार को सुना। प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.एस.जी. सुश्री माधवी दीवान को भी सुना।

8. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए.एस.जी., प्रत्यर्थी संख्या 6 के अतिरिक्त जवाबी हलफनामे से इंगित करती हैं कि आयुक्त, सी.एम.पी.एफ.ओ. के दिनांकित 04.03.2011 के प्रशासनिक आदेश के अनुसार, अपीलार्थी के मामले का निपटारा 18.04.2011 को किया गया और मासिक पेंशन की 10 प्रतिशत समर्पण मूल्य को उस पर लागू ब्याज के साथ वापस कर दिया गया था।

9. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार ने हालांकि तर्क दिया कि विधवा को उसके पति की मृत्यु पर एकमुश्त (पूर्ण मासिक पेंशन का 100 गुना) देय हो गया, जिसने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, पेंशन योजना के तहत इसका विकल्प चुना था। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कर्मचारी की विधवा के रूप में अपीलार्थी पीड़ित है क्योंकि उसे क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर न्यायालय द्वारा अनुपयुक्त किया गया है।

10. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 की धारा 3-ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत कोयला क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में तैयार किया गया था।

11. पेंशन, जैसा कि सर्वविदित है, लंबे वर्षों की सेवा प्रदान करने के लिए *प्रतिकर का आस्थगित हिस्सा* [1] है। यह एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से प्रोद्भूत फायदा है और *झारखंड राज्य और अन्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य* [2] में इस न्यायालय द्वारा इसे संपत्ति की प्रकृति में अभिनिर्धारित किया गया है।

12. अपीलार्थी के मामले पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने हालांकि योग्यता के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया, लेकिन क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी का हवाला देते हुए रिट याचिका और एल.पी.ए. दोनों को खारिज कर दिया था। तथापि, प्रत्यर्थी-नियोक्ता के साथ अपीलार्थी के पति की नियुक्ति विवाद में नहीं है। फिर भी, एक दशक से अधिक समय से, कर्मचारी की विधवा को पेंशनिक फायदों को प्राप्त करने के लिए मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

13. इस मामले की उपरोक्त विषम परिस्थितियों में, नियोक्ता द्वारा पेंशन योजना में उक्त प्रावधान को समाप्त करने के निर्णय की वैधता पर टिप्पणी किए बिना, क्योंकि पेंशनभोगी समाप्त करने की तारीख को जीवित नहीं था, हम इस कार्यवाही में ही उसके पक्ष में आवश्यक आदेश पारित करना उचित समझते हैं। परिणामस्वरूप, पेंशन योजना के तहत देय और भुगतान योग्य राशि की गणना की जाए और इसे अपीलार्थी को संवितरित करने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी को प्रतिदाय राशि को प्रेषण प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी/नियोक्ता को आज से 8 सप्ताह के भीतर इस आदेश के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

14. उपरोक्त आदेश के साथ अपील की अनुमति है। संबंधित लागत पक्षकारों द्वारा वहन की जाएगी।

निधि जैन अपील की अनुमति दी गई।

[1]अखिल भारतीय रिजर्व बैंक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य, (1992) पूरक 1 एस.सी.सी. 664

[2](2013) 12 एस.सी.सी. 210

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.